

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 31  
वित्तीय सेवा विभाग

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	2038.31	104730.00	106768.31	1739.05	69838.01	71577.06	1462.02	114978.00	116440.02	1305.16	3935.05	5240.21
<i>वसूलियां</i>	...	-10000.00	-10000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	-120.00	-80000.00	-80120.00	...	-65000.00	-65000.00	-225.00	-110500.00	-110725.00	-0.01	-550.01	-550.02
<b>निवल</b>	<b>1918.31</b>	<b>14730.00</b>	<b>16648.31</b>	<b>1739.05</b>	<b>4838.01</b>	<b>6577.06</b>	<b>1237.02</b>	<b>4478.00</b>	<b>5715.02</b>	<b>1305.15</b>	<b>3385.04</b>	<b>4690.19</b>
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	54.39	...	54.39	76.55	...	76.55	58.59	...	58.59	64.93	...	64.93
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	3.49	...	3.49	4.24	...	4.24	3.85	...	3.85	4.34	...	4.34
2.02 अभिरक्षक का कार्यालय	9.02	...	9.02	10.48	...	10.48	7.26	...	7.26	9.69	...	9.69
2.03 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	94.82	...	94.82	106.38	...	106.38	120.88	...	120.88	125.04	...	125.04
2.04 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.21	...	0.21	0.18	...	0.18	0.16	...	0.16	0.11	...	0.11
<i>जोड़- निदेशन और प्रशासन</i>	<i>107.54</i>	<i>...</i>	<i>107.54</i>	<i>121.28</i>	<i>...</i>	<i>121.28</i>	<i>132.15</i>	<i>...</i>	<i>132.15</i>	<i>139.18</i>	<i>...</i>	<i>139.18</i>
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>161.93</b>	<b>...</b>	<b>161.93</b>	<b>197.83</b>	<b>...</b>	<b>197.83</b>	<b>190.74</b>	<b>...</b>	<b>190.74</b>	<b>204.11</b>	<b>...</b>	<b>204.11</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण</b>												
3. राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए अंतरण (एनआईएफ)	...	10000.00	10000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूंजीकरण	...	10000.00	10000.00	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
5.01 सकल वजतीय सहायता	...	80000.00	80000.00	...	65000.00	65000.00	...	106000.00	106000.00	...	0.01	0.01
5.02 घटाइए पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए दी गई राशि	...	-80000.00	-80000.00	...	-65000.00	-65000.00	...	-106000.00	-	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
6. घटाएं - राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से प्राप्त राशि	...	-10000.00	-10000.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण</b>	<b>...</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
7. भारत का एक्सिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	950.00	950.00
8. एक्सिम बैंक का पुनःपूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
8.01 एक्सिम बैंक का पुनःपूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)	...	...	...	...	...	...	...	4500.00	4500.00	...	550.00	550.00
8.02 एक्सिम बैंक का पुनःपूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)	...	...	...	...	...	...	...	-4500.00	-4500.00	...	-550.00	-550.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-</b>	...	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	...	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	...	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	...	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
9. बीमा कंपनियों का पुनः पूंजीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
<b>वित्तीय संस्थाओं को सहायता</b>												
10. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अभिदान	...	3880.00	3880.00	...	3500.00	3500.00	...	2000.00	2000.00	...	1500.00	1500.00
11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनःपूंजीकरण	...	...	...	...	13.00	13.00	...	108.00	108.00	...	235.00	235.00
12. सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा बैंक) के लिए इकटिटी पूंजी	...	...	...	...	600.00	600.00	...	200.00	200.00	...	0.01	0.01
13. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इकटिटी सहायता	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	500.00	500.00
14. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इकटिटी सहायता	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00
15. विदेशी सहायता संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
16. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	176.51	...	176.51	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
17. इंडो स्विस कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.86	...	0.86	0.85	...	0.85	0.85	...	0.85	0.86	...	0.86
18. आवास ऋण पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सन्धिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
19. भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता	...	150.00	150.00	...	125.00	125.00	...	100.00	100.00	...	0.01	0.01
20. <i>दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन</i>												
20.01 सकल बजटीय सहायता	120.00	...	120.00	...	...	...	225.00	...	225.00	0.01	...	0.01
20.02 घटाएं - दबाव वाली परिसंपत्तियों के स्थिरीकरण कोष की वसूली	-120.00	...	-120.00	...	...	...	-225.00	...	-225.00	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21. नाबार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिग्रहण लागत में हिस्सेदारी	...	...	...	...	...	...	...	20.00	20.00	...	...	...
22. नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिग्रहण लागत में हिस्सेदारी	...	...	...	...	...	...	...	1450.00	1450.00	...	...	...
<b>जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता सामाजिक सुरक्षा स्कीमें</b>	<b>177.37</b>	<b>4230.00</b>	<b>4407.37</b>	<b>20.87</b>	<b>4338.00</b>	<b>4358.87</b>	<b>20.86</b>	<b>3978.00</b>	<b>3998.86</b>	<b>20.88</b>	<b>2435.02</b>	<b>2455.90</b>
23. प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सहायता												
24. स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत एनपीएस में सरकार का सह-अंशदान	53.43	...	53.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान	167.72	...	167.72	155.00	...	155.00	155.00	...	155.00	205.00	...	205.00
26. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को व्याज सब्सिडी	245.24	...	245.24	228.24	...	228.24	170.64	...	170.64	160.00	...	160.00
27. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
28. प्रधान मंत्री वाया वंदन योजना	58.02	...	58.02	72.00	...	72.00	152.17	...	152.17	176.90	...	176.90
<b>जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें</b>	<b>544.41</b>	...	<b>544.41</b>	<b>475.24</b>	...	<b>475.24</b>	<b>497.81</b>	...	<b>497.81</b>	<b>551.91</b>	...	<b>551.91</b>
<b>क्रेडिट गारंटी निधियां</b>												
29. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
30. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
31. स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	...	...	...	0.01	...	0.01
32. स्टैण्डअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
33. फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
<b>जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां</b>	<b>1020.00</b>	...	<b>1020.00</b>	<b>1020.01</b>	...	<b>1020.01</b>	<b>515.01</b>	...	<b>515.01</b>	<b>515.02</b>	...	<b>515.02</b>
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>1741.78</b>	<b>14730.00</b>	<b>16471.78</b>	<b>1516.12</b>	<b>4838.01</b>	<b>6354.13</b>	<b>1033.68</b>	<b>4478.00</b>	<b>5511.68</b>	<b>1087.81</b>	<b>3385.04</b>	<b>4472.85</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
34. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	14.60	...	14.60	25.10	...	25.10	12.60	...	12.60	13.23	...	13.23
<b>कुल जोड़</b>	<b>1918.31</b>	<b>14730.00</b>	<b>16648.31</b>	<b>1739.05</b>	<b>4838.01</b>	<b>6577.06</b>	<b>1237.02</b>	<b>4478.00</b>	<b>5715.02</b>	<b>1305.15</b>	<b>3385.04</b>	<b>4690.19</b>
<b>ख. विकासात्मक शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	12.51	...	12.51	14.72	...	14.72	11.11	...	11.11	14.03	...	14.03
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	54.39	...	54.39	76.55	...	76.55	58.59	...	58.59	64.93	...	64.93
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	109.42	...	109.42	131.48	...	131.48	133.48	...	133.48	138.27	...	138.27
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>176.32</b>	...	<b>176.32</b>	<b>222.75</b>	...	<b>222.75</b>	<b>203.18</b>	...	<b>203.18</b>	<b>217.23</b>	...	<b>217.23</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	544.41	...	544.41	475.24	...	475.24	497.81	...	497.81	551.91	...	551.91
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>544.41</b>	...	<b>544.41</b>	<b>475.24</b>	...	<b>475.24</b>	<b>497.81</b>	...	<b>497.81</b>	<b>551.91</b>	...	<b>551.91</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
5. कृषि वित्तीय संस्थान	177.37	...	177.37	20.85	...	20.85	20.85	...	20.85	20.86	...	20.86

( ₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018			बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
6. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	...	...	...	0.02	...	0.02	0.01	...	0.01	0.02	...	0.02
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	1020.00	...	1020.00	1020.01	...	1020.01	515.01	...	515.01	515.02	...	515.02
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.21	...	0.21	0.18	...	0.18	0.16	...	0.16	0.11	...	0.11
9. कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	3880.00	3880.00	...	3513.00	3513.00	...	2108.00	2108.00	...	1735.00	1735.00
10. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	...	700.00	700.00	...	600.00	600.00	...	600.00	600.00	...	1650.00	1650.00
11. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	10000.00	10000.00	...	600.01	600.01	...	1670.00	1670.00	...	0.03	0.03
12. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	150.00	150.00	...	125.00	125.00	...	100.00	100.00	...	0.01	0.01
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>1197.58</b>	<b>14730.00</b>	<b>15927.58</b>	<b>1041.06</b>	<b>4838.01</b>	<b>5879.07</b>	<b>536.03</b>	<b>4478.00</b>	<b>5014.03</b>	<b>536.01</b>	<b>3385.04</b>	<b>3921.05</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1918.31</b>	<b>14730.00</b>	<b>16648.31</b>	<b>1739.05</b>	<b>4838.01</b>	<b>6577.06</b>	<b>1237.02</b>	<b>4478.00</b>	<b>5715.02</b>	<b>1305.15</b>	<b>3385.04</b>	<b>4690.19</b>

	बजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			बजट 2019-2020					
	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़			
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3880.00	...	3880.00	3500.00	...	3500.00	2000.00	...	2000.00	1500.00	...	1500.00
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूँजीकरण	...	...	...	13.00	...	13.00	108.00	...	108.00	235.00	...	235.00
3. निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	950.00	...	950.00
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण	90000.00	...	90000.00	65000.01	...	65000.01	106000.00	...	106000.00	0.02	...	0.02
5. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनेंस एजेंसी	...	...	...	600.00	...	600.00	200.00	...	200.00	0.01	...	0.01
6. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	100.00	...	100.00	...	...	...	...	...	...	200.00	...	200.00
7. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	500.00	...	500.00
8. बीमा कम्पनियों का पुनः पूँजीकरण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
9. नाबार्ड में आरबीआई के हिस्से की अधिप्राप्ति लागत	...	...	...	...	...	...	20.00	...	20.00	...	...	...
10. राष्ट्रीय आवास बैंक में आरबीआई के हिस्से की अधिप्राप्ति लागत	...	...	...	...	...	...	1450.00	...	1450.00	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>94580.00</b>	<b>...</b>	<b>94580.00</b>	<b>69713.01</b>	<b>...</b>	<b>69713.01</b>	<b>110378.00</b>	<b>...</b>	<b>110378.00</b>	<b>3385.04</b>	<b>...</b>	<b>3385.04</b>

1. **सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

- 2.01. **विशेष न्यायालय का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।
- 2.02. **अभिरक्षक का कार्यालय:** यह प्रावधान कस्टोडियन कार्यालय के लिए है।
- 2.03. **ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी):** यह प्रावधान ऋण वसूली अधिकरण के लिए है।
- 2.04. **न्यायालय परिसमापक का कार्यालय:** यह प्रावधान न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए है।
4. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूँजीकरण:** यह प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूँजीकरण के लिए है।
5. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूँजीकरण (बांडों के माध्यम से):** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशिष्ट प्रतिभूतियों (बॉन्ड के माध्यम से) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी डालने का प्रावधान है।
7. **भारत का एक्सिम बैंक की शेयर पूँजी में अभिदान:** यह प्रावधान बैंक की चुकता पूँजी को इसकी प्राधिकृत पूँजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इकट्ठी सहायता/अभिदान के रूप में एक्सिम बैंक के लिए है।
8. **एक्सिम बैंक का पुनःपूँजीकरण (बांडों के माध्यम से):** विशेष प्रतिभूतियां जुटाकर एक्सिम बैंक में पूँजी के समावेशन के लिए प्रावधान किया गया है।
9. **बीमा कम्पनियों का पुनः पूँजीकरण:** यह प्रावधान बीमा कंपनियों के पुनःपूँजीकरण के लिए है।
10. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की शेयर पूँजी में अभिदान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की पूँजी को बढ़ाने के लिए है।
11. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनःपूँजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूँजीकरण के लिए है।
12. **सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा बैंक) के लिए इकट्ठी पूँजी:** यह प्रावधान मुद्रा बैंक की पूँजी में वृद्धि के लिए है।
13. **इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इकट्ठी सहायता:** यह प्रावधान कारोबार संबंधी कार्यक्रम तथा पूँजी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआईएफसीएल को इकट्ठी सहायता के लिए है।
14. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इकट्ठी सहायता:** यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को व्यापार कार्यक्रम और पूँजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इकट्ठी समर्थन के लिए है।

15. **विदेशी सहायता संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह प्रावधान भारत सरकार और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटएस्टाब्लिशमेंट फर वाइडरोफआउट (केएफडब्ल्यू ) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए ब्यारज विभेदक निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक जमा के लिए अनुदान के भुगतान हेतु है।
16. **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान के लिए है।
17. **इंडो स्विस कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यहा प्रावधान इंडो स्विस कॉर्पोरेशन 6 के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को भुगतान हेतु है।
18. **आवास ऋण पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी:** यह प्रावधान आवास ऋण पर ब्याज सबवेंशन के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को सब्सिडी देने के लिए है।
19. **भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता:** यह प्रावधान भारत में सूक्ष्म वित्त के विस्तार में सुधार लाने के लिए भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता के लिए है।
20. **दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन:** यह प्रावधान स्ट्रेस्टेड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड को जारी की गई प्रतिभूतियों के मोचन के लिए है।
23. **प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को सहायता:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना के तहत रु-पे कार्ड धारकों को प्रीमियम सदस्यता के लिए है।
25. **अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान अटल पेंशन योजना के अंतर्गत एग्जीग्रेटर को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने और प्रचार अभियान के लिए पीएफआरडीए को निधियन सहायता के लिए सरकार के सह-अंशदान हेतु है।
26. **वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन / वार्षिकी के लिए ब्याज सब्सिडी के भुगतान और पॉलिसी धारकों के नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य के बराबर भुगतान करने के लिए है।
27. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के लिए प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता के लिए है।

28. **प्रधान मंत्री बाया बंदन योजना:** बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण भविष्य में ब्याज में गिरावट से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की आय की सुरक्षा करने और प्रधानमंत्री वय बंदन योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज सब्सिडी देने का प्रावधान है।
29. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने के लिए ऋण गारंटी निधि के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।
30. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार:** मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रचार एवं जागरूकता का प्रावधान है।
31. **स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान अ.जा./अ.ज.जा. तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यम को बढ़ावा देने हेतु स्टैण्ड-अप इंडिया पहल आरंभ करने के लिए ऋण गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यास कंपनी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए है।
32. **स्टैण्डअप इंडियाऔर सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार:** सिडबी द्वारा स्टैंड अप इंडिया के लिए प्रचार एवं जागरूकता का प्रावधान है।
33. **फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान फैक्टरिंग - क्रेडिट गारंटी फंड के लिए है।
34. **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):** यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान (सामान्य) तथा (वेतन) के लिए है।